



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2770]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2016/अग्रहायण 3, 1938

No. 2770]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2016/AGRAHAYANA 3, 1938

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2016

का.आ. 3539(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की दिनांक 17 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं.सां.आ.418(अ) द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित कार्यकारी समिति के सदस्यों के तौर पर नियुक्त करती है, अर्थात:-

(क) धारा 5कक की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त।

अध्यक्ष-

1. सचिव, भारत सरकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।

(ख) धारा 5कक की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियुक्त।

2. अपर सचिव, भारत सरकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।

3. अपर/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
- (ग) धारा 5कक की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत नियुक्त।
4. प्रतिनिधि, केरल सरकार, श्रम विभाग, केरल
5. प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश
6. रिक्त
- (घ) धारा 5कक की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अंतर्गत नियुक्त।
7. डॉ. यू.डी. चौबे
8. श्री रवि विज
9. श्री के.वी. शेखर राजु
- (ङ.) धारा 5कक की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ.) के अंतर्गत नियुक्त।
10. श्री जी. संजीवा रेड्डी
11. श्री ए.डी. नागपाल
12. श्री एम. जगदीश्वर राव।
- (छ) धारा 5कक की उप-धारा (2) के खण्ड (च) के अंतर्गत नियुक्त।
13. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
14. भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066

[सं. वी-20012/1/2006-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2016

S.O. 3539(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5AA of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby appoints, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, the following persons as members of the Executive Committee constituted under the said Act in place of persons appointed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 418(E) dated the 17th February, 2014 namely:-

- (a) Appointed under clause (a) of sub-section (2) of section 5AA.
Chairperson -
1. Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour & Employment,
Shram Shakti Bhavan, New Delhi.

- (b) Appointed under clause (b) of Sub-Section (2) of Section 5AA.
2. Additional Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour & Employment,
Shram Shakti Bhavan, New Delhi.
 3. Additional/Joint Secretary & Financial Advisor,
Ministry of Labour & Employment,
Shram Shakti Bhavan, New Delhi.
- (c) Appointed under clause (c) of Sub-Section (2) of Section 5AA.
4. Representative of the Government of Kerala, Labour Department, Kerala.
 5. Representative of the Government of Madhya Pradesh, Labour Department, Madhya Pradesh.
 6. Vacant.
- (d) Appointed under clause (d) of Sub-Section (2) of Section 5AA.
7. Dr. U.D. Choubey
 8. Shri Ravi Wig
 9. Shri K.V. Shekhar Raju
- (e) Appointed under clause (e) of Sub-Section (2) of Section 5AA.
10. Dr. G.Sanjeeva Reddy
 11. Shri A.D. Nagpal
 12. Shri M. Jagadishwara Rao.
- (f) Appointed under clause (f) of Sub-Section (2) of Section 5AA.
13. Central Provident Fund Commissioner,
Employees' Provident Fund Organization,
14, Bhikaji Cama place,
New Delhi-110066.

[No. V-20012/1/2006-SS.II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.